सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 302 दर्ज तिथिः—26.07.2024

1. धनाराम पुत्र भोमाराम
   जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी

.....वादी

बनाम

1. जैरूपा पुत्र हिन्दू
2. भूरी पत्नी हिन्दू
3. सालू पुत्र भोमा
4. निम्बा पुत्र भोमा
5. दरगा पुत्र भोमा
6. सामा पुत्र भोमा
   जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6. श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4,5:— श्री भंवरलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 25.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं

स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 634 / 1.2302 है0, 639 / 0.8984 है0, 642 / 1.6916 है0, 664 / 4.3301 है0 मौजा मालियो की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

2. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 23.09.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1920 दिनांक 19.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1920 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 22.08.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2120—2126 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2120—2126 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 के अनुसार तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया जाकर केवल वादी का खाता पृथक

किया गया। जबकि प्राथमिक डिक्री में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण का भी खाता अलग किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारों द्वारा सहमति से खसरा संख्या 639, 642 पर तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा खसरा संख्या 664 व 634 पर सहमति से संशोधित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामा मय नक्शा शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें खसरा संख्या 634 नजरी नक्शा निम्न प्रकार है—

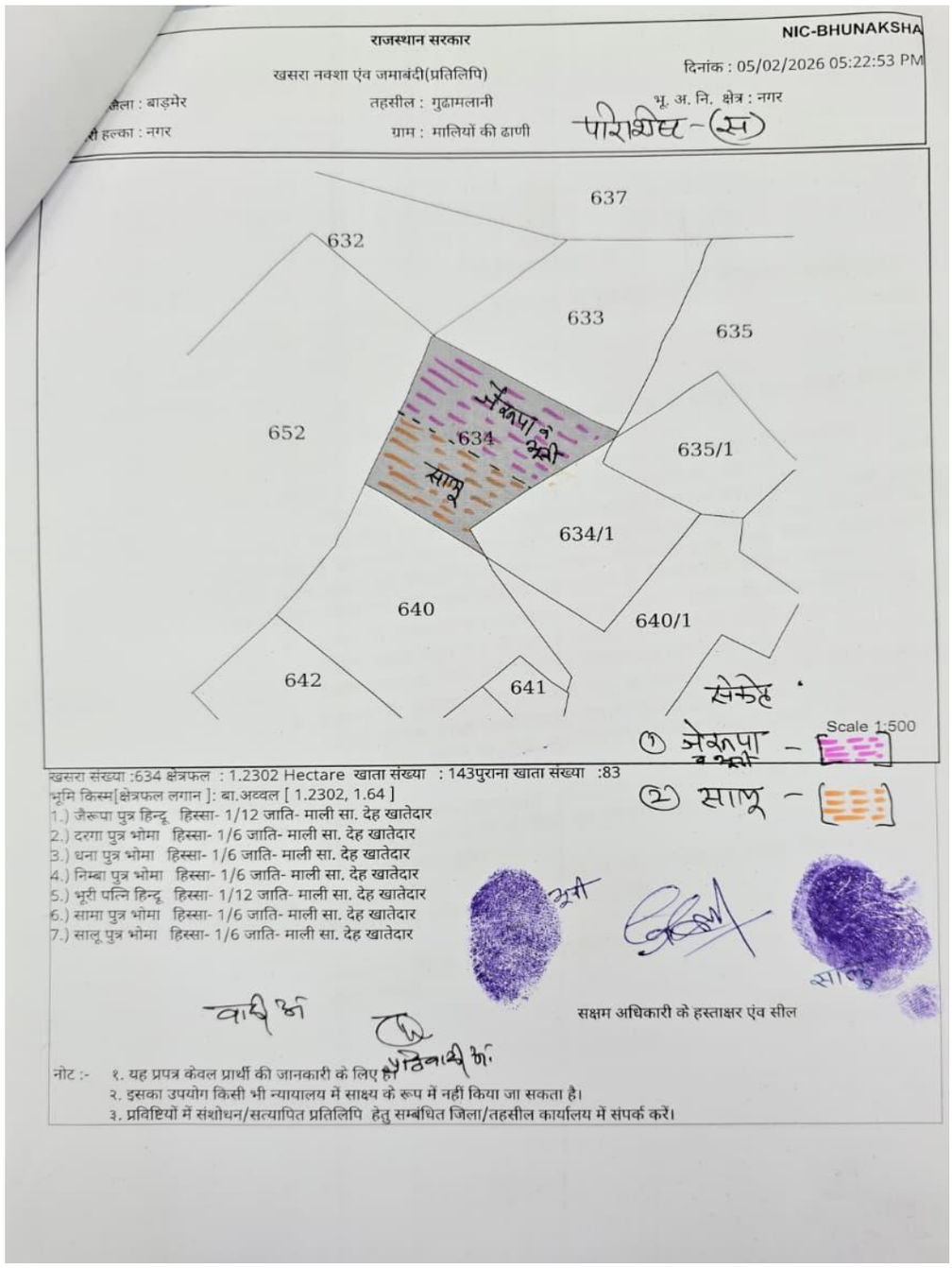

4. जिसमें खसरा संख्या 664 नजरी नक्शा निम्न प्रकार है—

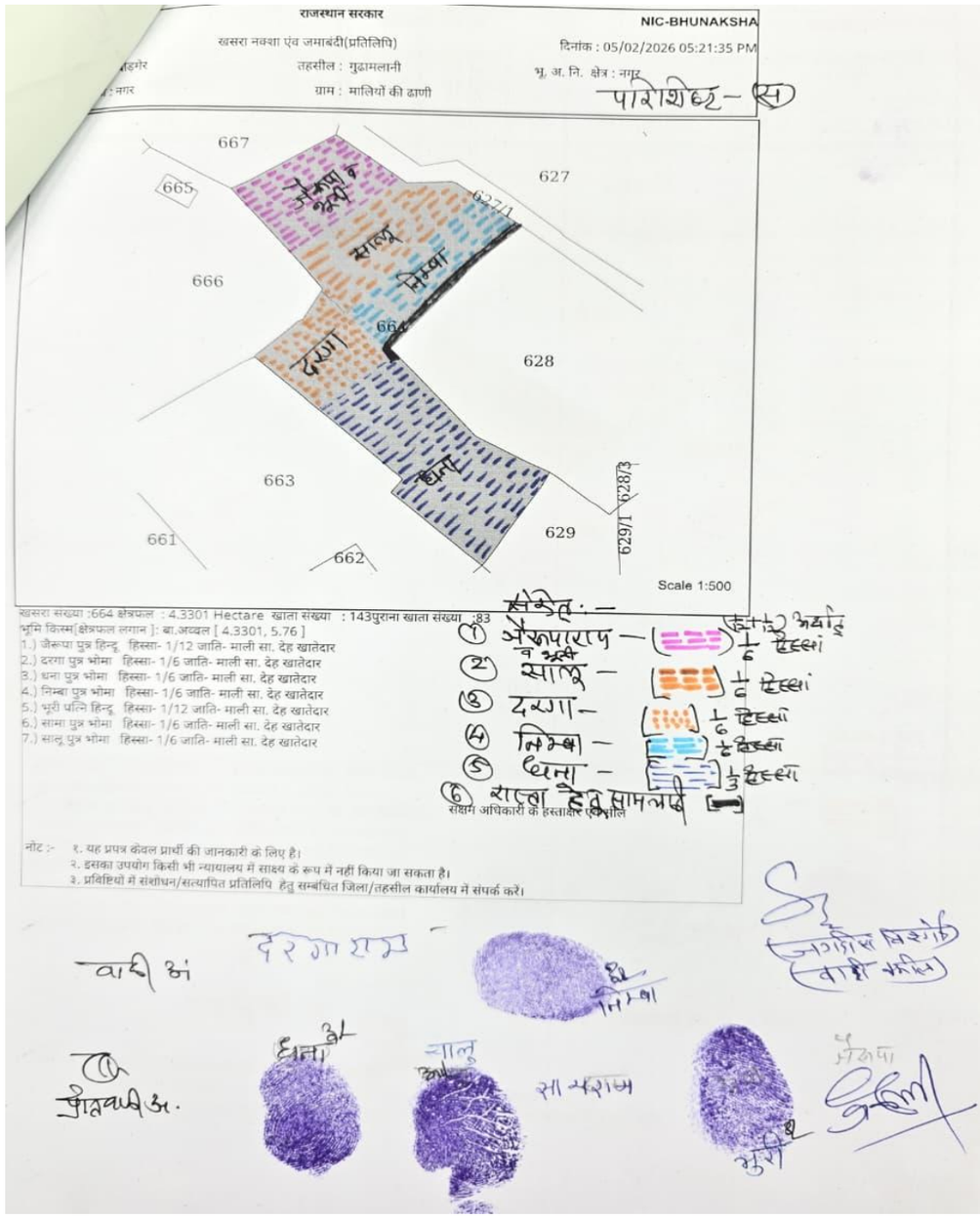

5. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का विवरण निम्नानुसार है—

- कि वादी एवं प्रतिवादीगण को मौका कमीशनर कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा संख्या 639, 642 की रिपोर्ट स्वीकार है तथा खसरा संख्या 664 रकबा 4.3301 है0 में प्रत्येक खातेदार का बहिस्सा 1/6—1/6 के अनुसार रकबे का समायोजन अपने—अपने कुर्रेजात रिपोर्ट में आए विभाजन प्रस्ताव का सेढ़ा—सेढ़ करने एवं रास्ते के रूप में रखे गये संयुक्त रकबे में वादी के प्रस्तावित खसरा संख्या 664 की भूमि तक पहुंचाने एवं अधिक भूमि पर प्रस्तावित किये गये रास्ते की

भूमि को पुनः वादी व प्रतिवादी के खातों में समायोजन करने की सहमति वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त विभाजन पर स्वीकार की है। वादी के प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 664 में आगे 20 फिट तक एवं मुख्य सड़क रास्ते से नियमानुसार देना स्वीकार किया है।

- कि वादी को खसरा संख्या 664 में रकबा 1.4114 है0 भूमि प्रस्तावित की है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जैरूपा को रकबा 1.3296 है0 प्रतिवादी संख्या 03 को रकबा 1.3296 है0, प्रतिवादी संख्या 04 रकबा 1.3298 है0, प्रतिवादी संख्या 05 रकबा 1.3296 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 06 को अन्यत्र खसरे में एकल भूमि की गई है। कि वादी के भाग में प्रस्तावित रकबा 0—10 बीघा अधिक भूमि को समान भाग में प्रतिवादीगण के हिस्से में पुनः जोड़े व रास्ते में अधिक लम्बाई में प्रस्तावित अधिक भूमि को कम करते हुए पुनः वादी व प्रतिवादीगण के खातों में जोड़ने पर उक्त कुर्रेजात विभाजन दोनो पक्षों को स्वीकार रहेगा। प्रतिवादी संख्या 06 को वादी की अधिक भूमि खसरा संख्या 642 में जोड़ी जानी है क्योकि प्रतिवादी संख्या 06 को खसरा संख्या 634 में अपना हिस्सा प्रस्तावित नहीं किया है एवं खसरा संख्या 664 में प्रतिवादी संख्या 04 एवं प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने—अपने हिस्से का सहमति से बदला है।

6. प्रकरण में उक्त संशोधित प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा पर सभी पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की। प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर उभय पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 व 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी खसरा संख्या 634 / 1.2302 है0, 639 / 0.8984 है0, 642 / 1.6916 है0, 664 / 4.3301 है0 मौजा मालियो की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) एवं राजीनामा के प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन

विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी

का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं 634/1.2302 है0, 639/0.8984 है0, 642/1.6916 है0, 664/4.3301 है0 मौजा मालियो की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी मुताबिक उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत राजीनाम व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'स' तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जैरूपा पुत्र हिन्दू भूरी पत्नी हिन्दू जाति माली सा0 देह खातेदार	1 / 2 1 / 2	मालियों की ढाणी	664 634	0.7281 0.6151	बा0अ0 बा0अ0

कुल किता 2 रकबा 1.3432 है0					
धना पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	664	1.3433 है0	बा0अ0
कुल किता 1 रकबा 1.3433 है0					
सालु पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	664 634	0.7281 है0 0.6151 है0	बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 2 रकबा 1.3432 है0					
सामा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	642	1.3433 है0	बा0अ0
कुल किता 1 रकबा 1.3433 है0					
दरगा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	639 664	0.6233 है0 0.7200 है0	बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 2 रकबा 1.3433 है0					
निखा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	639 642 664	0.2751 है0 0.3483 है0 0.7199 है0	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 3 रकबा 1.3499 है0					
जैरूपा पुत्र हिन्दु दरगा पुत्र भोमा धना पुत्र भोमा निखा पुत्र भोमा सामा पुत्र भोमा सालू पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6	मालियों की ढाणी	664	0.0907 है0	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 1 रकबा 0.0907 है0 गैर मुमकिन रास्ता					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व नजरी नक्शा एवं राजीनामा प्रस्ताव व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'स' निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 302 दर्ज तिथिः—26.07.2024

1. धनाराम पुत्र भोमाराम
   जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी

.....वादी

बनाम

1. जैरूपा पुत्र हिन्दू
2. भूरी पत्नी हिन्दू
3. सालू पुत्र भोमा
4. निम्बा पुत्र भोमा
5. दरगा पुत्र भोमा
6. सामा पुत्र भोमा
   जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6. श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4,5:— श्री भंवरलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं 634/1.2302 है0, 639/0.8984 है0, 642/1.6916 है0,

664/4.3301 है0 मौजा मालियो की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी मुताबिक उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत राजीनाम व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'स' तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जैरूपा पुत्र हिन्दू भूरी पत्नी हिन्दू जाति माली सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	मालियों की ढाणी	664 634	0.7281 0.6151	बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 2 रकबा 1.3432 है0					
धना पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	664	1.3433 है0	बा0अ0
कुल किता 1 रकबा 1.3433 है0					
सालु पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	664 634	0.7281 है0 0.6151 है0	बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 2 रकबा 1.3432 है0					
सामा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	642	1.3433 है0	बा0अ0
कुल किता 1 रकबा 1.3433 है0					
दरगा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	639 664	0.6233 है0 0.7200 है0	बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 2 रकबा 1.3433 है0					
निखा पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	मालियों की ढाणी	639 642 664	0.2751 है0 0.3483 है0 0.7199 है0	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 3 रकबा 1.3499 है0					
जैरूपा पुत्र हिन्दु दरगा पुत्र भोमा धना पुत्र भोमा निखा पुत्र भोमा सामा पुत्र भोमा सालू पुत्र भोमा जाति माली सा0 देह खातेदार	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	मालियों की ढाणी	664	0.0907 है0	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 1 रकबा 0.0907 है0 गैर मुमकिन रास्ता					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व नजरी नक्शा एवं राजीनामा प्रस्ताव व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'स' निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी